BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 23 फरवरी 2024

"ऑपरेशन कन्विक्शन"अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी कर गैंगस्टर के 01 आरोपी को 03 वर्ष का कारावास व 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयीः-

अवगत कराना है कि अभियुक्त शनि ठाकुर पुत्र सहाब सिंह निवासी ग्राम घटिया एलमपुर थाना बन्ना देवी जनपद अलीगढ द्वारा संगठित गिरोह बनाकर लूट, चोरी जैसे जघन्य अपराध कारित कर धन अर्जित करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में दिनांक 29.03.2018 को थाना डिबाई पर मुअसं- 158/18 धारा- 2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 16.12.2018 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 23.02.2024 को मा0 न्यायालय स्पेशल गैंगस्टर एक्ट जनपद बुलन्दशहर द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त शनि ठाकुर को 03 वर्ष का कारावास व 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री योगेश कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

अभियुक्त शनि का आपराधिक इतिहास

1. मुअसं-452/17 धारा 392,411,120बी भादवि थाना डिबाई जनपद बुलन्दशहर।
2. मुअसं-567/17 धारा 392,411 भादवि थाना जवां जनपद अलीगढ।
3. मुअसं-561/17 धारा 392 भादवि थाना गांधी पार्क जनपद अलीगढ।
4. मुअसं-663/17 धारा 414 भादवि थाना गांधी पार्क जनपद अलीगढ।
5. मुअसं-158/18 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना डिबाई जनपद बुलन्दशहर।

मीडिया सेल बुलन्दशहर